

उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2,

संख्या-क0नि0-2-2952/ ग्यारह-9 (386)/ 94- उ0प्र0अधि0-74-56-नियम-1957-2007-आदेश (13)

लखनऊ: दिनांक :: 07 दिसम्बर, 2007

विज्ञप्ति

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा -21 के साथ पठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 74 सन् 1956) की धारा 13 की उपधारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल केन्द्रीय बिक्री-कर (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1957 को संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

केन्द्रीय बिक्री-कर (उत्तर प्रदेश) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2007

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1-	(1)	यह नियमावली केन्द्रीय बिक्री-कर (उत्तर प्रदेश) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2007 कही जायेगी।
		(2)	यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
नियम 8-क का संशोधन	2-		केन्द्रीय बिक्री-कर (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1957 में, नियम 8-क में उपनियम (2) निकाल दिया जायेगा।

आज्ञा से,

ह0/-

(के0 चन्द्रमौलि)

प्रमुख सचिव